

**सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राज.)**

**विज्ञापन संख्या 03/2022**

शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 8(3) के तहत इस संस्थान में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, आरएसी (RAC), वेल्डर, प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रशासन सहायक, कोपा (COPA) व प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र) को निम्नलिखित ट्रेडों के लिए शिक्षुओं का विनियोजन करने हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर चयन किया जाना है:

क्रम सं.	ट्रेड	शैक्षणिक योग्यता	विनियोजित किए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या
1.	इलेक्ट्रीशियन		08 (06 सीरी, पिलानी व 02 सीरी, जयपुर सेंटर)
2.	फिटर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण	06 (04 सीरी, पिलानी व 02 सीरी, जयपुर सेंटर)
3.	टर्नर	तथा	03 (02 सीरी, पिलानी व 01 सीरी, जयपुर सेंटर)
4.	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	(2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई) ।	06
5.	मशीनिस्ट		01
6.	आरएसी (RAC)		03
7.	वेल्डर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण	01
		तथा	
		(2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई) ।	
8.	प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रशासन सहायक	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण	05
		तथा	
		(2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई) ।	
9.	कोपा (COPA)	(1) उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान या वाणिज्य के साथ 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण	03
		तथा	
		(2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई) ।	
10.	प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र)	(1) उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण	01
		तथा	
		(2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई) या बीएससी (B.Sc.) उत्तीर्ण ।	
		<b>कुल</b>	<b>37</b>

**उम्मीदवार का एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर छानबीन समिति द्वारा छटनी नहीं की जाएगी ।**

प्रशिक्षुओं का चयन न्यूनतम योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर/ छानबीन समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों के आधार पर किया जाएगा ।

आयु: शिक्षु के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।

अवधि: शिक्षुता की अवधि शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार होगी।

वृत्तिका: शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार।

शिक्षु का विनियोजन शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत पूर्णतया अस्थायी है। इसलिए यह विनियोजन सीएसआईआर - सीरी/ सीएसआईआर में किसी पद पर नियमितीकरण/ आमेलन के लिए विचारार्थ अन्तर्निहित या स्पष्ट अधिकार/ दावा प्रदान नहीं करता।

जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हैं वे दिनांक **09.05.2022** को सांय **05:00** बजे तक संस्थान कि वेबसाईट ([www.ceeri.res.in](http://www.ceeri.res.in)) के माध्यम से **ऑनलाइन आवेदन** करना होगा। किसी अन्य तरीके से किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाईट [www.ceeri.res.in](http://www.ceeri.res.in) पर उपलब्ध निर्धारित लिंक (Link) में जीवन-वृत्त (बायो-डाटा), पासपोर्ट आकार की स्वयं की फोटो तथा अपनी शैक्षणिक अर्हताओं, **एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण का दस्तावेज**, जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के दस्तावेजों की साक्ष्यांकित फोटोप्रतियां फार्म भरने के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन के प्रिंट-आउट को अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए और कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर इसे कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।

**प्रशासन नियंत्रक**